

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला-सलुम्बर

प्रार्थी- हेमलता.....

विपक्षी- सरकार.....

किस्म मुकदमा-धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या-.....64...../2025

दिनांक	
<u>08/07/25</u>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र खाता दुरस्ती का पेश करने पर दर्ज किया गया।</p> <p>प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड मौजा <u>कडुणी</u> खाता संख्या <u>361 व 362</u> में प्रार्थी का नाम <u>लता पुत्री सुमा</u> अंकित है जिसे संशोधित करा <u>हेमलता पुत्री सुमा</u> अंकित किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>पटवारी हल्का <u>कडुणी</u> भूअ.निरीक्षक <u>सरकार</u> से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रार्थी का नाम <u>लता पुत्री सुमा</u> निवासी <u>कडुणी</u> के बजाय <u>हेमलता पुत्री सुमा</u> संशोधित किया जाने की अनुशंषा की गई है।</p> <p>अतः पटवारी, भूअ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा अनुसार मौजा <u>कडुणी</u> पटवार हल्का <u>कडुणी</u> की खाता संख्या <u>361, 362</u> में प्रार्थी का नाम <u>हेमलता पुत्री सुमा</u> संशोधित किया जावे। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर, से कम हो। निर्णय सुनाया गया।</p>




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर
सलुम्बर, जिला सलुम्बर